13.02.2024

पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप.।
वादी वकील, प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 07 R 11 का जवाब पेश नहीं करना चाहते हो
लिहाजा पत्रावली वास्ते प्रार्थना-पत्र पर बहस हेतु आदेश 22.2.24 को पेश हो

22.02.2024

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए बहस के तथ्यों [illegible] अभिकथन किया कि पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब के इंतजार में चल रही है कि वादीगण के द्वारा उपरोक्त वाद मुख्य रुप से धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें वादीगण ने O-1,R-8 C-P-C- में का प्रार्थना पत्र साथ में किया गया है। जो सिविल प्रकृति का वाद होता है जो सिविल न्यायालय में पेश किया जाता है। उक्त प्रकार के दावों को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित नहीं है। कि उक्त खसरा श्री बाणमाता निवास देने वाला ठीकाना नगर वाके देह हिस्सा के नाम से जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। जो जागीरदार के समय से मन्दिर के नाम से दर्ज है। उक्त मन्दिर की पुजा–पाठ करने व मन्दिर व मूर्ति की पुजा, उसके हित में व मन्दिर की आय बढाने के लिये उक्त खसरा नगर रावला के द्वारा दिया गया था और मन्दिर की पुजा करने के लिये उक्त खसरे में काबिज सदस्यों के पूर्वज थे, जिनके द्वारा लगातार मन्दिर की पूजा करना, मूर्ति की रक्षा करना व उनके हितार्थ व अन्य प्रयोजनार्थ उक्त खसरे की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। जिसका उक्त पुजारीगण के पास नगर रावलें का ताम्रपत्र दिया हुआ है। कि समय के साथ पुजारीगण के परिवार में वृद्धि होने से सदस्य बढ गये है जिससे अपने परिवार व वशावली के हिसाब से उक्त पुजारीगण मन्दिर में पुजा अर्चना व दीया–धूप व आरती वगैराह करतें है। और मन्दिर के हितार्थ में उक्त खसरें के चारों तरफ तारबन्दी आदि की हुई है। ताकि मन्दिर की भूमि पर कोई पड़ोसी खातेदार अतिक्रमण नहीं करें। और मन्दिर के [illegible] सुरक्षित रह सकें। जिसकी तमाम जिम्मेदारी नगर ठिकाने के द्वारा जारी ताम्रपत्र [illegible] पुजारीगण को दे रखी है। जिसकी पालना मे ही उक्त पुजारीगण उक्त खसरा में निवास [illegible] है। जिसके बारे में ग्राम पंचायत सड़ा के आम नागरिक को किसी प्रकार [illegible] करने का अधिकार [illegible] नही है। आम नागरिकों को मन्दिर में दर्शन करने व प्रसाद चढाने का हक प्राप्त है। [illegible] किसी प्रकार की रोक व अन्य कोई अड़चन उक्त पुजारीगण के द्वारा किसी प्रकास से नही की जा रही है। जिससे भी कोई वाद हेतुक उत्पन नही हो रहा है। जिससे वाद विधि विरुद्ध होने से खारिज करने योग्य है। इस प्रकार वाद में वर्णित खसरों पर वाद में वर्णित प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि इनकी सात पीढिया पूर्व से ही मन्दिर की पुजा अर्चना में लगे है। व मन्दिर के हित में ही लगें हुए है। और

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:03 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है जिसका वर्णन वाद पत्र मे किया हुआ है। जिससे वादीगण किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नही है। और वाद चनले योग्य की श्रेणी में भी नही आता है। वादीगण को उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी व कानून की जानकारी होने पर भी इस प्रकार के वाद को न्यायालय में गलत रूप से पेश कर गलत मांग की जा रही है। और न्यायालय का समय खराब किया जा रहा है। और प्रतिवादीगण जो पुजारी है जिसको बेवजह मानसिक रूप से तंग व परेशान किया जा रहा है। लिहाजा वादपत्र जो न्यायालय में पेश किया है उसमें कोई वाद हेतुक नहीं होने से और न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व वाद चलने योग्य नही होने के कारण और विधि से वर्जित होने से खारिज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण के द्वारा पेश राजस्व वाद जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का नहीं होने से और वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से और वाद चलने योग्य नही होने से और विधि से वर्जित होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इसके विपरित वकील वादीगण की बहस है कि वादीगण आम जनता ग्राम पंचायत सड़ा तहसील सिणधरी की ओर से बाणमाता का मन्दिर के हितो की रक्षा के लिए यह प्रतिनिधि वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 183,188,209 के अन्तर्गत प्रस्तुत [illegible] आदेश 01 नियम 08 सी पी सी का [illegible] हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु रहा है। कि बाणमाता का मन्दिर [illegible] अलग से प्रस्तुत किया जा लिये लड़ने बाबत् ग्राम पंचायत स[illegible] के [illegible]क है, जिनके अधिकारो व हक के तहसील सिणधरी के ग्राम सड़ा ख[illegible]रा संख्या [illegible] रकबा 28.1694 हैक्टर, ग्राम इन्द्रासर तहसीलसिणधरी के खेत खसरा संख्या 438 / 1 रकबा 0.0243 हेक्टर, खसरा संख्या 439 / 1 रकबा 3.3007 हैक्टर भूमि बाणमाता का मन्दिर के नाम से दर्ज है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 10 द्वारा आम जनता [illegible] पंचायत सड़ा [illegible] बाणमाता का मन्दिर के अधिकारो हितो व भावनाओ पर कुठाराघात [illegible] आमजन [illegible] विरोध के पश्चात् मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाकर उसमें स्थायी रूप से काबिज हो रहे है। मन्दिर मुर्ति साश्वत नाबालिक होती है। इसलिए आम जनता ग्राम पंचायत सड़ा तहसील सिणधरी को यह अधिकार है कि वे बाणमाता का मन्दिर के हितो एवं मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण रूकवाने व अतिक्रमण हटाने के लिये तथा नाबालिक के अधिकारों की रक्षा करने हेतु राज्य का दायित्व है। बाणमाता का मन्दिर से ग्रामवासियो की आस्था जुड़ी हुई है। मन्दिर में गामवासी अपनी श्रृद्धा भाव से पूजा अर्सना के लिये आते जाते है। इसलिये उक्त भूमि से ग्रामवासीयो के हित जुड़े हुऐ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ग्राम पंचायत सड़ा के निवासी है, जो आदतन बदमाश एवं भू माफियां प्रवृति के व्यक्ति है। कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने बाणमाता मन्दिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के आशय से चारो ओर तारबन्दी की जा रही है तथा अन्दर पक्के निमार्ण कर मन्दिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा स्थापित किया गया है तथा राजनैतिक पहुच के कारण दिनोदिन स्थायी रूप से पक्का निर्माण को अतिक्रमण किये जा रहे है। लिहाजा बाणमाता का मन्दिर के हितो एवं मन्दिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण रूकवाने व अतिक्रमण हटाने के लिये तथा नाबालिक के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर उस पर किये गये अवैधानिक अतिक्रमणों को बेदखल किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत सड़ा

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:38:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सिणधरी के ग्राम सड़ा खसरा संख्या 337 रकबा 28.1694 हैक्टर, ग्राम इन्द्रासर तहसीलसिणधरी के खेत खसरा संख्या 438/1 रकबा 0.0243 हेक्टर, खसरा संख्या 439/1 रकबा 3.3007 हैक्टर भूमि बाणमाता का मन्दिर के नाम से दर्ज है। जहां तक वादी वकील की दलील है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने बाणमाता मन्दिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के आशय से चारो ओर तारबन्दी की जा रही है तथा अन्दर पक्के निर्माण कर मन्दिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा स्थापित किया गया है तथा राजनैतिक पहुच के कारण दिनोदिन स्थायी रूप से पक्का निर्माण को अतिक्रमण को हटाया जाना है, जिसके सन्दर्भ में प्रतिवादी वकील द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिये उल्लेखित किया है कि ग्राम सड़ा के खसरा नम्बर 337 रकबा 28.1694 हैक्टयर व ग्राम इन्द्रासर के खसरा नम्बर 438/1 रकबा 0.0243 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 439/1 रकबा 3.3007 हैक्टयर खातेदार का नाम श्री बाणमाता निवास देने वाला ठीकाना नगर वाके देह राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खातानुसार पुजारी विवरण रजिस्टर की प्रति के साथ ही पर्चा लगान की प्रति के साथ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2020 के अनुसार " जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार"– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार का जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसे भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उक्त 1952 अधिनियम की अनुसूची प्रथम में क्रम सं. 15 पर माफी भूमि को "जागीर श्रेणी" में माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उक्त 1952 अधिनियम के लागू होने की दिनांक को तत्समय के राजस्व अभिलेख में यदि किसी खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, तो उसे ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। मन्दिर माफी की वह भूमि जिसके संबंध में 1952 अधिनियम के लागू होने के समय के राजस्व अभिलेख में यदि वह भूमि मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त के नाम दर्ज थी, तो ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार मन्दिर मुर्ति में निहित होते है। माननीय उच्च न्यायालय की वृहद् पीठ द्वारा तारा के प्रकरण (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 185/2001 तारा व अन्य बनाम राज्य व इत्यादि) में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अव्यस्क नही है। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मंदिर मूर्ति को शास्वत अव्यस्क मान भी लिया जावे तो भी भूमि मंदिर मूर्ति निरंतर धारित नही कर सकती है। मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उस कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। मंदिर के पुजारी / शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति काश्तकार की नहीं होती है; उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। साथ ही अतिक्रमण के मामलो में परिपत्र दिनांक 12.09.2018 में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त का धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 19536 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:03 IST
Reason: SelfAttested

68/2021

प्रभावी निस्तारण करेगें। साथ ही निर्णय दिनांक 15.07.2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अव्यस्क नही है। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मंदिर मूर्ति को शास्वत अव्यस्क मान भी लिया जावे तो भी भूमि मंदिर मूर्ति निरंतर धारित नही कर सकती है, मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उस कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति "केयरटेकर मैनेजर" की होती है, तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची प्रथम मे क्रम सं. 15 पर माफी भूमि को जागीर श्रेणी में माना गया है, जिसका तातपर्य यह है कि उक्त 1952 अधिनियम के लागू होने की दिनांक को तत्समय के राजस्व अभिलेखा में यदि किसी खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तनिर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, तो उसे ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसे भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगें। परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के सरंक्षक के रूप में अनुमत/प्राधिकृत किया गया है कि– मंदिर भूमि विकास के लिए संबंधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्युबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मंदिर माफी की भूमि के सुधार हेतु मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति "केयरटेकर मैनेजर" की होती है; जहां तक मंदिर माफी की भूमि पर धारा 1983 के तहत वादी की इस्तदुआ है, जिसके लिए परिपत्र दिनांक 12.09.2018 में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त का धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। ऐसी स्थिति में वादी वकील द्वारा वाद में धारा 183 रा.का.अधि. के तहत चाही गई इस्तदुआ उक्त प्रकरण में लागू नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:03 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आ0 7 नि0 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधिविरूद्व व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी